उत्तर प्रदेश शासन

आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2

संख्या -15/2016/339/78-2-2016-22आई.टी./2005

लखनऊः दिनांकः 16 फरवरी, 2016

कार्यालय ज्ञाप

उत्तर प्रदेश ई-गवर्नेन्स योजनान्तर्गत सेंटर फॉर ई-गवर्नेन्स (एसडीए) के माध्यम से डीएसपी द्वारा स्थापित कराये जा रहे जन सेवा केन्द्र (कॉमन सर्विस सेंटर) से संबंधित समस्त प्रकार के प्रकरणों/कार्यकलापों को निर्धारित करने तथा केन्द्रों की स्थापना ससमय पूर्ण करने एवं उनमें समय-समय पर आने वाली कठिनाइयों, समस्याओं आदि के त्वरित निराकरण एवं योजना की प्रगति-अनुश्रवण व समीक्षा आदि मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में एतद्द्वारा उच्चाधिकार प्राप्त समिति का निम्वत् गठन किया जाता है:-

1.	मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन	अध्यक्ष
2.	प्रमुख सचिव, आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सीईजी	सदस्य
3.	राज्य समन्वयक, सेंटर फॉर ई-गवर्नेन्स (स्टेड डिजिग्नेटेड एजेंसी)	सदस्य सचिव
4.	प्रमुख सचिव, वित्त विभाग अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि, जो विशेष सचिव, स्तर से निम्न न हो।	सदस्य
5.	प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि, जो विशेष सचिव, स्तर से निम्न न हो।	सदस्य
6.	प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि, जो विशेष सचिव, स्तर से निम्न न हो।	सदस्य
7.	प्रमुख सचिव, पंचायतीराज विभाग अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि, जो विशेष सचिव, स्तर से निम्न न हो।	सदस्य
8.	प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग अथवा उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि, जो विशेष सचिव, स्तर से निम्न न हो।	सदस्य
9.	अनु सचिव/उप सचिव/संयुक्त सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं इले. विभाग, उ0प्र0 शासन।	सदस्य

उपरोक्तानुसार गठित समिति की जन सेवा केन्द्रों की स्थापना, संचालन, अनुरक्षण एवं तत्सम्बंधी विषयों पर समय-समय बैठक आयोजित की जायेगी।

(आलोक रंजन)
मुख्य सचिव

संख्या- 15/2016/339(1)/78-2-2015, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-:

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सीईजी, उ0प्र0।
3. संबंधित सदस्य/अधिकारीगण।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(महेन्द्र प्रसाद भारती)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in